न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

रामाधार काछी तनय श्री कामता काछी निवासी ग्राम कोरी तह० सिरमौर जिला रीवा (म०प्र०) -- निगरानीकर्ता

बनाम

(1) बाल्मीक प्रसाद पाण्डेय तनय श्री रोहणी प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम कोरी तह० सिरमौर जिला रीवा (म०प्र०)

(2) शासन म०प्र० --गैर निगरानीकर्ता/अ०

कार्यालय कलेक्टर
जिला रीवा (म० प्र०)
20 OCT 2002
अधीक्षक कलेक्टर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर रीवा, सम्भाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 174/निगरानी/2001-2002 आदेश दिनांक 22-7-02

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 1.00एकड़ किसमिल व भूमि खसरा नं० 511 रकबा 0.21एकड़, स्थित ग्राम कोरी तहसील सिरमौर जिला रीवा (म०प्र०) में है, जिस पर वह काबिज दखील है। निगरानीकर्ता के सीमांकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 129 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 ई० के तहत दिनांक 29-5-2000 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया जिसका राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन नजरी नक्शा व पटवारी प्रतिवेदन तैयार किया गया व तहसीलदार सिरमौर को प्रकरण क्रमांक 9ए/2/98-99

14-9-2002 क्रमशः-2पर

14

9-12-14

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी पर उनके अभिभावक उपस्थित थे। आज समय-समय पर तीन बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(हस्ताक्षर)
सरस्वे

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.